No. EDN-H(Ele)(4)-10/2019-(Health)-
Directorate of Elementary Education
Himachal Pradesh.

Through e-Mail
Time Bound

E-7
11/2

2759
11/02/2020

Dated: Shimla-171001 the Jan, 2020

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
04 FEB 2020
शिमला–1

To

Kangra

All the Dy. Directors (EE),
Himachal Pradesh.

Subject:- **Meeting in office chamber, Shimla on Drug Addiction & its solution.**

Sir,

Please find enclosed herewith a photocopy of letter No. CPCR-A(4)-2/2018-46-59 dated 21-01-2020 on the subject cited above.

In this context, you are requested to take necessary action under intimation to this Directorate as well as to the quarter concerned within stipulated time accordingly.

Encls. As Above.

Jt. Director (School)
Directorate of Ele. Edu.
Himachal Pradesh, Shimla-1

Copy to:

The Director (WCD)-cum-Member Secretary, State Child Right Protection Commission, HP for information please.

Jt. Director (School)
Directorate of Ele. Edu.
Himachal Pradesh, Shimla-1

EDM

Endst. No. EDN-KGR-(E-7)-Misc/2018-19-10140 Dt. 13/2/20
Copy forwarded to all the BEEOs with the directions to take further necessary action under intimation to this office.

Dy. Director Ele. Edu.
Kangra at Dharamshala

Cr 3567 / 30-1-20
XIV

सी.पी.सी.आर.–ए(4)–2/2018– 46-59
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज–3,
न्यू शिमला–171009

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी, जिला शिमला–171001
2. निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश,
लालपानी, जिला शिमला–171001
3. जिला पुलिस अधीक्षक,..................................,
....,
हिमाचल प्रदेश–...

दिनांकः शिमला–171009, 21 जनवरी, 2020

विषयः– Meeting in office chamber, Shimla on **DRUG ADDICTION** & its solution.

महोदय,

आज दिनांक 13.12.2019 को आयोग की बैठक में **नशे का सेवन एवं रोकथाम के उपाय** शीर्षक पर चर्चा की गई। इसमें आयोग ने यह व्यक्त किया कि आज के समय में पूरे प्रदेश सहित समस्त भारत में जोरों से नशे का प्रचलन हो रहा है। छोटे–छोटे बच्चे भी इसमें संलिप्त हो रहे हैं। घर से अभिभावक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर वे स्कूल जाने की बजाय जंगलों में जाकर नशे का सेवन करते हैं, जैसे–बीड़ी, सिगरेट, भांग, अफीम, चिट्टा इत्यादि। नशे की आदत यदि छोटी उम्र से ही शुरू हो जाए तो यह जिन्दगी भर के लिए पड़ जाती है और इससे कई घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा करने वाला बच्चा न तो मानसिक तौर पर परिपक्व होता है और न ही शारीरिक तौर पर। समाज भी उसे बुरी नजर से देखता है तथा उसका कहीं भी मान सम्मान नहीं रहता।

नशामुक्ति हेतु सुझाव

आयोग ने व्यक्त किया कि नशे से बचने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। आजकल सरकार ने विभिन्न स्थानों पर नशा निवारण केंद्र खोले हैं, जिनका हमें नशे करने वाले छात्र या व्यक्ति को वहां भेजकर रोकथाम करने में उपयोग करना चाहिए। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी नशे की रोकथाम के लिए, अभिभावकों को समय–समय पर जागरूक करते रहना चाहिए। पुलिस विभाग द्वारा भी इस प्रकार की अनजान जगहों का औचक निरीक्षण करते रहना चाहिए ताकि बच्चे नशे का सेवन करने से बचें व नशे के आदी न बनें। इसके अतिरिक्त किसी भी विद्यालय के समीप मदिरापान एवं नशे संबंधी, कोई भी सामान नहीं बेचा जाना चाहिए, इसके लिए सख्ती से इन दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि देश का प्रत्येक नागरिक युवाओं में पनप रही इस आदत की रोकथाम के लिए संकल्प लें कि *'न नशा करेंगे और न ही करने देंगे'* तभी इस गंभीर समस्या का कुछ हद तक हल हो सकता है, क्योंकि युवा–शक्ति ही राष्ट्र –निर्माण, और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सभी **जिलों के पुलिस अधीक्षक** एवं **निदेशक, शिक्षा विभागों** को इस दिशा में आवश्यक पग उठाने की आवश्यकता है तथा नशा निवारण के लिए सामूहिक एवं संयुक्त जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इस हेतु कृत कार्यवाही से आयोग को भी समय–समय पर अवगत कराया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले में तदानुसार आगामी कार्यवाही करने की कृपा करें तथा की गई कार्यवाही से आयोग को दस दिनों के भीतर अवगत कराएं।

भवदीय,

निदेशक (डब्ल्यू.सी.डी.) एवं सदस्य सचिव,
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
हिमाचल प्रदेश

Sh R. Chauhan
29/1/2020